फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

देवीलाल बनाम श्यामलाल (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा॰ प॰ 111-128 नं॰ 117 सन 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-7-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
25-8-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15-9-20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29-9-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण 1 से 3 व 6 से 9 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा-प॰ किये गये। अप्रार्थी सं. 4 व 5 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुए जिसे शा॰प॰ किये गये। वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 4 व 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील [illegible] ने बहस करनी चाही। [illegible] की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण	विपक्षी सं॰ 4, 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते [signature] 29.9.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.09 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested

S[illegible] with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.09 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 117/20 प्रा०पत्र

1– श्री देबीलाल s/o श्री नारायण खटीक निवासी हिसानिया त० माण्डल

2. श्री छोटुलाल s/o श्री नारायण खटीक ———— ॥ ————

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री श्यामलाल s/o श्री नारायण खटीक निवासी हिसानिया तहसील माण्डल [कोरा] (मुख्तांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 29.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोदानपुरा पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 343, 397/343, 398/343, 415/342, 416/341, 417/347 कुल किता 06 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-07-20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सोदानपुरा पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 343, 397/343, 398/343, 415/342, 416/341, 417/347 कुल किता 06 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास - 400/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश ... नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.09 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner